


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल कैम्प रोवा, जिला-रोवा

R-3933-1112

₹ 4000/-

664
11-10-12



C.F.R.S 24

श्री दिवाकर चिपारी
सद. न्यायालय

11-10-12

286
11-10-12

1- राम प्रताप विश्वकर्मा तनय स्व० गजराम विश्वकर्मा आयु 60 साल, पेशा
छेती, निवासी अमवा, तहसील हुजूर, जिला - रोवा म०प्र०।

2- शिवनारायण तनय स्व० राजराम आयु 55 साल, पेशा छेती, निवासी ग्राम
अमवा, तहसील हुजूर, जिला - रोवा म०प्र०।

----- आवे०/ निग
रानी कर्ता गण

बनाम

1- मु० अनुराधा पाण्डेय पत्नी रोहिणी प्रसाद पाण्डेय आयु 55 साल, पेशा
धरु कार्य, निवासी ग्राम फिटवरिया, तहसील हुजूर, जिला - रोवा म०प्र०

----- अन०/ गैर निग०

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 13-7-12

मासिक/सालिक/द्वारिक/वाकत प्रकरण प्र०

84अ/2/11-12 नायब तहसीलदार साकेल

वनपुरिया तहसील हुजूर, जिला - रोवा म०प्र०।

अन्तर्गत धारा 509 म०प्र० म०प्र० सं० 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं सीमांकन हेतु
निर्भित नियमों के विरुद्ध होने से काविल निरस्तगी के है।

2- यद्यपि गैर निगरानी कर्ता की आराजी नं० 286/3/ख/1 रकवा 0-024

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3933-II/12

जिला-रीवा

रामप्रताप विश्वकर्मा / श्रीमती अनुराधा पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	